# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारीश्रीबद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 37/2025

अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

| प्रार्थीनी | बनाम | विप्रार्थी |
|---|---|---|
| 1. संगार पत्नी हकीम कौम मुसलमान निवासी सिंहानिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। | | 1. अजीम पुत्र आमद<br>2. गफूर पुत्र आमद<br>3. गुलबेग पुत्र सजन<br>4. जूसब पुत्र सकुर<br>5. समानी पत्नी होत<br>6. हाजीयाणी पत्नी खंडु कौम मुसलमान निवासी सिंहानिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।<br>7. शाखा प्रबंधक एसबीआई सेड़वा।<br>8. तहसीलदार सेड़वा। |

उपस्थित :प्रार्थीनी वकील–श्री श्रीराम विश्नोई

—: निर्णय :—

दिनांक 06.05.2025

प्रार्थीनी संगार पत्नी हकीम जाति मुसलमान निवासी सिंहानिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीनी का संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा सिंहानिया पटवार क्षेत्र अरटी भू अ. निरीक्षक क्षेत्र अरटी तहसील सेड़वा में खसरा संख्या 304 रकबा 17.9923 हैक्टेयर का आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीनी का 1/4 हिस्सा है। उक्त खसरा की भूमि में से 17.05.2013 को विप्रार्थी संख्या 3 ने अपने 1/4 हिस्सा का 1/2 हिस्सा (यानि सम्पूर्ण रकबा का 1/8 हिस्सा) एवं विप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की माता एणमा द्वारा अपना 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण का बेचान जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विप्रार्थीगण संख्या 05 को किया गया, लेकिन हल्का पटवारी द्वारा उक्त बेचान दस्तावेज का नामांतरकरण संख्या 1394 भरते समय भूलवश क्रेता विप्रार्थीगण संख्या 05 का हिस्सा गलत दर्ज कर दिया जिससे प्रार्थीनी की भूमि कम हो गई। बेचान दस्तावेज का नामांतरकरण निम्नानुसार खोलना था–1. विप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/6 हिस्सा 2. विप्रार्थी संख्या 3 का 1/8 हिस्सा 3. विप्रार्थी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा 4. विप्रार्थी संख्या 5 का 5/24 हिस्स 5. प्रार्थीनी का 1/4 हिस्सा लेकिन पटवारी द्वारा बेचान दस्तावेज का नामांतरकरण खोलते समय भूलवश निम्नानुसार गलत हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.06.05 14:16:27 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

दिया–1. प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं 4 का संयुक्त रूप से 5/12 हिस्सा 2. विप्रार्थी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा 3. विप्रार्थी संख्या 5 का 1/3 हिस्सा। उक्त भूमि में खातेदारों का आपसी बंटवाड़ा करने का वाद प्रस्तुत विप्रार्थी संख्या 04 के द्वारा किया हुआ है, लेकिन पक्षकारों के हिस्से सही नहीं होने से बंटवाड़ा किया जाना संभव नहीं है, क्यूंकि राजस्व रेकर्ड में 5/36 हिस्सा दर्ज हैं, एवं वास्तव में प्रार्थीनी का 1/4 हिस्सा है। अपने 1/4 हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है एवं घर, ट्यूबवैल बने हुए है। विप्रार्थीगण रेकर्ड में दर्ज गलत हिस्सों की आड़ में प्रार्थीनी के हिस्से की भूमि को बेचान एवं खुर्द–बुर्द करने पर उतारू है। रेकर्ड में दर्ज गलत हिस्सों की आड़ में प्रार्थीनी के हिस्से की भूमि को बेचान एवं खुर्द–बुर्द करने में सफल हो जाते हैं तो प्रार्थीनी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भविष्य में नकदी में क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी। राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से प्रार्थीनी हिस्से के विपरीत है। बेचान दस्तावेज का नामांतरकरण करते समय दर्ज गलत हिस्से दुरुस्त किए जावें, जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है। अतः श्रीमानजी से समक्ष हिस्सा दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीनी का संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा सिंहानिया पटवार क्षेत्र अरटी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरटी तहसील सेड़वा में खसरा संख्या 304 रकबा 17.9923 हैक्टेयर में बेचान दस्तावेज का नामांतरकरण संख्या 1394 भरते समय दर्ज गलत हिस्से दुरुस्त करवाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किए। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक रीडर/2025/186 दिनांक 06.03.2025 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2025/690 दिनांक 18.03.2025 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन **"मौके पर उपस्थित प्रार्थीया संगार व खातेदारों के रूबरू मौका मुआयना किया गया, मौजा सिंहानिया पटवार मण्डल अरटी के खसरा संख्या 304 रकबा 17.9923 हैक्टेयर भूमि खातेदार अजीम गफूर पि. आमद गुलबेग पुत्र सजन जुसब पुत्र सकूर संगार पत्नी हकीम समानी पत्नी होत हाजीयाणी पत्नी खंडु कौम मुसलमान सा. सिंहानिया के नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। पंजीकृत बेचान दस्तावेज दिनांक 20.05.2013 अनुसार खसरा नंबर 304 रकबा 17.9923 हैक्टेयर में से एमणा पत्नी आहमद का 1/12 हिस्सा सम्पूर्ण तथा गुलबेग पुत्र सजन का 1/4 में से 1/2 यानि 1/8 हिस्सा जुमले हिस्सा 5/24 भूमि का बेचान समानी पत्नी होत कौम मुसलमान सा. सिंहानिया को किया गया था जबकि नामान्तरकरण संख्या 1394 स्वीकृत दिनांक 05.07.2013 द्वारा भूलवश समानी पत्नी हो[illegible] हिस्सा 5/24 के बजाय 1/3 दर्ज**

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.06.05 14:16:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

किया और बेचानकर्ता गुलबर्ग पुत्र सजन का हिस्सा 1/4 यथावत रखा गया जो कि मिलान राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टियों से किया गया जो कि निम्न प्रकार है–

परिशिष्ट 'अ' वर्तमान हिस्से (अशुद्ध) दर्ज

| क्र.सं. | खातेदार मय पता | खसरा | रकबा | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अजीम पुत्र आमद कौम मुसलमान सा. देह खा. | 304 | 17.9923 हैक्टेयर | 5/72 |
| 2. | गफूर पुत्र आमद कौम मुसलमान सा. देह खा. | | | 5/72 |
| 3. | गुलबेग पुत्र सजन कौम मुसलमान सा. देह खा. रहन एसबीआई शाखा सेड़वा | | | 1/4 |
| 4. | ज़ुसब पुत्र सकुर कौम मुसलमान सा. देह खा. रहन एसबीआई शाखा सेड़वा | | | 5/56 |
| 5. | संगार पत्नी हकीम कौम मुसलमान सा. देह खा. | | | 5/36 |
| 6. | समानी पत्नी होत कौम मुसलमान सा. देह खा. | | | 1/3 |
| 7. | हाजीयाणी पत्नी खंडु कौम मुसलमान सा. देह खा. | | | 25/504 |

परिशिष्ट 'ब' बेचान दस्तावेज व कब्जाकाश्त अनुसार प्रस्तावित हिस्सा दुरुस्ती

| क्र.सं. | खातेदार मय पता | हिस्सा | खसरा | रकबा |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अजीम पुत्र आमद कौम मुसलमान सा. देह खा. | 1/12 | 304 | 17.9923 हैक्टेयर |
| 2. | गफूर पुत्र आमद कौम मुसलमान सा. देह खा. | 1/12 | | |
| 3. | गुलबेग पुत्र सजन कौम मुसलमान सा. देह खा. रहन एसबीआई शाखा सेड़वा | 1/8 | | |
| 4. | ज़ुसब पुत्र सकुर कौम मुसलमान सा. देह खा. रहन एसबीआई शाखा सेड़वा | 101/504 | | |
| 5. | संगार पत्नी हकीम कौम मुसलमान सा. देह खा. | 1/4 | | |
| 6. | समानी पत्नी होत कौम मुसलमान सा. देह खा. | 5/24 | | |
| 7. | हाजीयाणी पत्नी खंडु कौम मुसलमान सा. देह खा. | 25/504 | | |

परिशिष्ट 'अ' को वर्तमान अशुद्ध हिस्से को दर्शित किया गया है। परिशिष्ट 'ब' को बेचान दस्तावेज व कब्जाकाश्त अनुसार हिस्से को प्रस्तावित किया गया है।

अतः परिशिष्ट 'ब' अनुसार खाते में हिस्सा दुरुस्ती किया जाना उचित है। मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर/अं.नि. अंकित करवाए गए।

प्रार्थीनी वकील उपस्थित। वि[illegible]दा प्राप्त होने के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके विरू[illegible] कार्रवाई अमल में लाई जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा संक्षिप्त दस्तावेजों [illegible] पर प्रार्थीनी के अधिवक्ता ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.06.05 14:16:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

बहस की। प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र 37/2025 उनवान संगार बनाम अजीम वगैरा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा के कार्यालय पत्र क्रमांकः भू.अ./2025/690 दिनांक 18.03.2023 द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक जांच/मौका प्रतिवेदन मौजा सिंहानिया पटवार क्षेत्र अरटी भू अ. निरीक्षक क्षेत्र अरटी तहसील सेड़वा में खसरा संख्या 304 रकबा 17.9923 हैक्टेयर में दर्शित परिशिष्ट 'ब' अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में हिस्से दुरुस्ती करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ./2025/690 दिनांक 18.03.2025 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 17.03.2025 व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.06.05 14:16:27 IST
Reason: SelfAttested